



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह।  
(Email id-dccourt.grd@gmail.com)  
अधिहरण वाद सं०—०५/२०२२  
राज्य-बनाम-यदुनन्दन भोक्ता एवं अन्य

०७/०६/२४

अभिलेख उपस्थापित। पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह के पत्रांक-४७३०/अप०शा० दिनांक २८.०९.२०२२ के आलोक में ताराटांड थाना कांड सं०-२५/२२, दिनांक ०२.०६.२०२२, धारा-३७९/४१४ भा०द०वि०, ४(१)/४(१)A२१/२२ Mines Minerals(Regulation & Devlopment) Act १९५७ & ४/५४ Jharkhand Mines and Mineral Concession Rule २००४ & The Jharkhand Mineral (Prevention of illegal Mining Transportation and Storage) Rule २०१७ & १३ Jharkhand Mineral (Prevention of illegal mining, Transportion and storage) Rule-२०१७ में अनुसंधानकर्ता द्वारा जप्त ट्रैक्टर नं०-JH11AE-८८५३ एवं डाला नं० JH11AE-२२८५ के विरुद्ध राज्यसात की कार्रवाई प्रारम्भ करने की अनुशंसा की गई है।

उक्त के आलोक में अधिहरण वाद सं० ०५/२०२२ राज्य-बनाम-यदुनन्दन भोक्ता एवं अन्य (ताराटांड थाना कांड सं० २५/२२ में जप्त वाहन) का संधारण कर सुनवाई प्रारम्भ की गई। अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में संधारित अधिहरण वाद सं० ०९/२०२२ में पारित आदेश के विरुद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(Cr) No. १२१२ of २०२३ सीता राम महतो एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक २२.०३.२०२४ की कंडिका-६ जो निम्नवत् है:-

*"In view of law declared by the co-ordinate Bench of this Court, the Deputy Commissioner-cum-District Magistrate is not a competent authority to pass the order of confiscation. Accordingly, the order dated 03.11.2023 passed by the Deputy Commissioner-cum-District Magistrate, Giridih in Confiscation Case No. 09 of 2022 is, hereby, quashed and set aside and the matter is remitted back to the learned court below who has taken cognizance, to pass an appropriate order in accordance with law."*

Shy.

उक्त न्यायादेश के आलोक में इस (अधिहरण वाद सं0 05/2022  
राज्य-बनाम-यदुनन्दन भोक्ता एवं अन्य) वाद को Drop(समाप्त) किया जाता  
है।

उभय पक्षों को आदेश से अवगत कराया जाय।

लेखापित एवं संशोधित,

५५०७/०६/२५

५५०७/०६/२५

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,  
गिरिडीह।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,  
गिरिडीह।

ज्ञापांक.....५५५...../न्या० दिनांक.....७/६/२०२४

प्रतिलिपि:-पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह को उनके पत्रांक-4730/अप०शा० दिनांक  
28.09.2022 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु  
प्रेषित।

५५०७/०६/२५

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,  
गिरिडीह।